

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग


॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 5 / 03 / 2026

संख्या-12/निजी-70118/2023 सा0प्र0-4361 /सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-15196, दिनांक-14.08.2025 द्वारा श्रीमती निशि कान्त, बि0प्र0से0 (को०क्र०-670/24), वरीय उप समाहर्ता, सीतामढ़ी को दिनांक-10.09.2025 से दिनांक-08.03.2026 तक कुल-180 दिनों का मातृत्व छुट्टी स्वीकृति प्रदान की गयी।


2. श्रीमती निशि कान्त, बि0प्र0से0 द्वारा उक्त स्वीकृत छुट्टी अवधि की समाप्ति के पूर्व ही दिनांक-06.01.2026 को अपने पदस्थापन वाले पद पर योगदान कर लिये जाने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-15196, दिनांक-14.08.2025 को निरस्त करते हुए बिहार सेवा संहिता के नियम-220 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना सं0-640/वि0, दिनांक-19.01.15 की कंडिका-2 के आलोक में श्रीमती निशि कान्त को दिनांक-10.09.2025 से दिनांक-05.01.2026 तक कुल-118 दिनों की मातृत्व छुट्टी (प्रथम संतान) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(राजीव रजन दास)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-12/निजी-70118/2023 सा0प्र0-4361./पटना, दिनांक-...5.../03/26

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्रीमती निशि कान्त, बि0प्र0से0 (को०क्र०-670/24), वरीय उप समाहर्ता, सीतामढ़ी/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।